

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

कौशल्या बनाम राज सरकार वगै०

किस्म मुकदमा- प्रा०पत्र 128 एल आर एक्ट

मु०नं०- 60/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 266 वाके ग्राम भडंग्यावास तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि में से ख०न० 266 का सीमाज्ञान तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा दिनांक 17.06.2023 को किया जा चुका है। प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाने चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थनापत्र अ०धा० 128 एल आर एक्ट पेश किया गया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया। पत्रावली में विचाराधीन भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थी का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बहरावण्डा को वाके ग्राम भडंग्यावास तहसील बहरावण्डा में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 266 पर पत्थरगढी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते हैं। तहसीलदार बहरावण्डा उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>तहसीलदार बहरावण्डा को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।</p> <p>निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.07.2023 सरे इजलास सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय (दौसा)